मंगोलिया
और
भारत गणराज्य
के बीच
सिविल तथा वाणिज्यिक मामलों में
विधिक सहायता और विधिक संबंधों के लिए संधि

मंगोलिया और भारत गणराज्य के बीच

सिविल तथा वाणिज्यिक मामलों में विधिक सहायता के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने की आवश्यकता को महत्व देते हुए;

निम्नलिखित रूप से सहमति हुई है:

भाग- 1
सामान्य उपबंध

अनुच्छेद-1
विधिक संरक्षण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के नागरिकों को अपनी स्वयं की और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के प्रति दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में वही विधिक संरक्षण प्राप्त होगा जैसा कि उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के नागरिकों को उसकी विधियों द्वारा अनुज्ञात है।

2. उपर्युक्त उपबंध दोनों संविदकारी पक्षों में किसी एक संविदाकारी पक्ष की विधियों के अधीन गठित विधिक व्यक्तियों पर भी लागू होता है।

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के नागरिकों को दूसरे संविदाकारी पक्ष के सिविल तथा वाणिज्यिक मामलों में सक्षमता प्राप्त न्यायालयों अथवा अन्य प्राधिकारियों के समक्ष उन्हीं शर्तों पर जाने का निःशुल्क तथा बिना अड़चन अधिकार प्राप्त होगा जैसा उस संविदाकारी पक्ष के नागरिकों को प्राप्त है।

अनुच्छेद-2
अधिकार, कर्त्तव्य और सुविधाएं

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के नागरिकों को दूसरे संविदाकारी पक्ष के न्यायालयों की कार्यवाहियों में वही अधिकार और तत्समान कर्त्तव्य और सुविधाएं प्राप्त होंगी, जो उस संविदाकारी पक्ष के नागरिकों को प्राप्त हैं।

अनुच्छेद-3
सूचना का तरीका

विधिक सहायता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए संविदाकारी पक्षों के प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ मंगोलिया के न्याय मत्रालय और भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के माध्यम से सम्पर्क करेंगे।

भाग - II
सिविल तथा वाणिज्यिक मामलों से सम्बद्ध विधिक सहायता तथा विधिक संबंध

अनुच्छेद-4
विधिक सहायता का कार्यक्षेत्र

सिविल मामलों में विधिक सहायता की कार्यवाही अर्थात् दस्तावेजों और आदेशिकाओं की तामील और प्रेषण, मामलों के लिए दस्तावेजों का हस्तांतरण, वादकारियों, गवाहों, विशेषज्ञों और अन्य व्यक्तियों से साक्ष्य लेना, अनुरोधों को निष्पादित करने के लिए वस्तुओं का अभिग्रहण, निर्णयों, डिक्रियों और माध्यस्थम पंचाटों का प्रवर्तन तथा विधिक सहायता देने के लिए अन्य कार्रवाई अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्षकार के कानून के अनुसार की जाएगी।

अनुच्छेद - 5
विधिक सहायता के लिए अनुरोध का ढंग

1. विधिक सहायता के लिए लिखित में अनुरोध किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:-

1) अनुरोधकर्त्ता प्राधिकारी का पदनाम;
2) अनुरोधप्राप्तकर्त्ता प्राधिकारी का पदनाम;
3) मामले का विशेष विवरण, जिसके संबंध में विधिक सहायता के लिए अनुरोध किया गया है;
4) अनुरोध से संबंधित व्यक्तियों के नाम तथा उपनाम, उनकी नागरिकता, व्यवसाय तथा स्थायी और अस्थायी निवास के संबंध में सूचना। विधिक व्यक्तियों के मामले में उनके नाम तथा पते;
5) अनुरोध से संबंधित व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के नाम तथा पते;
6) यदि आवश्यक हो, तो ज्ञात की जाने वाली विषय-वस्तु का विवरण और आवश्यक दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की सूची।

अनुच्छेद 6
निष्पादन

1. विधिक सहायता के लिए अनुरोध का निष्पादन करते समय अनुरोधप्राप्तकर्त्ता प्राधिकारी अपनी राष्ट्रीय विधियों के अनुसार कार्रवाई करेगा। तथापि, अनुरोधकर्त्ता प्राधिकारी के अनुरोध पर, अनुरोधप्राप्तकर्त्ता प्राधिकारी अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष के प्रक्रिया संबंधी नियमों के अनुसार कार्रवाई कर सकता है बशर्ते कि वे नियम उसकी अपनी राष्ट्रीय विधियों के विरूद्ध न हों।

2. यदि अनुरोधप्राप्तकर्त्ता प्राधिकारी अनुरोध को निष्पादित करने के लिए सक्षम नहीं है, तो वह उक्त अनुरोध को सक्षम प्राधिकारी के पास भेजेगा तथा अनुरोधकर्त्ता प्राधिकारी को तदनुसार सूचित करेगा।

3. उचित अनुरोध प्राप्त होने पर, अनुरोधप्राप्तकर्त्ता प्राधिकारी अनुरोधकर्त्ता प्राधिकारी को तथा मामले में हितबद्ध पक्षों अथवा उनके प्रतिनिधियों को अनुरोध निष्पादित किए जाने के स्थान और समय के बारे में सूचित करेगा।

4. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता प्राधिकारी अनुरोध का निष्पादन हो जाने के पश्चात् अनुरोधकर्त्ता प्राधिकारी को दस्तावेज भेजेगा। यदि निवेदित विधिक सहायता प्रदान नहीं की जा सकती हो, तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता प्राधिकारी अनुरोध को निष्पादित न किये जाने के कारणों की सूचना देते हुए उस अनुरोध को वापस भेजेगा।

अनुच्छेद-7
दस्तावेजों अथवा आदेशिकाओं की तामील

1. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता प्राधिकारी दस्तावेजों अथवा आदेशिकाओं की तामील के प्रयोजन के लिए अपनी विधियों के अनुसार कार्रवाई करेगा। यदि दस्तावेज अथवा आदेशिकाएं अनुरोधप्राप्तकर्त्ता संविदाकारी पक्ष की भाषा में नहीं हैं अथवा उनका अनुवाद साथ में संलग्न नहीं किया गया है, तो उन्हें पाने वाले व्यक्ति को तामील किया जा सकता है यदि वह उन्हें स्वीकार करने के लिए इच्छुक हो।

2. तामील के लिए अनुरोध में, पाने वाले व्यक्ति का सही पता तथा दिये जाने वाले दस्तावेज अथवा आदेशिका का शीर्षक दिया जाएगा।

अनुच्छेद-8
दस्तावेजों अथवा आदेशिकाओं की तामील का प्रमाण

दस्तावेजों अथवा आदेशिकाओं की तामील अनुरोधप्राप्तकर्त्ता संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में लागू नियमों के अनुसार प्रमाणित की जाएगी। तामील करने के प्रमाण-पत्र में, तामील करने का स्थान और समय तथा उस व्यक्ति का नाम दर्शाया जाएगा, जिसे दस्तावेज अथवा आदेशिका की तामील की गई है ।

अनुच्छेद - 9
नागरिकों को राजनयिक मिशनों या कौंसलीय कार्यालयों के माध्यम से दस्तावेजों की तामील करना और परिप्रश्न जारी करना

संविदाकारी पक्ष अपने नागरिकों को अपने राजनयिक मिशनों या कौंसलीय कार्यालयों के माध्यम से दस्तावेजों की तामील करने और परिप्रश्न जारी करने के हकदार होंगे। ऐसी तामील के संबंध में कोई बाध्यता लागू नहीं होगी।

अनुच्छेद- 10
विदेश स्थित गवाहों और विशेषज्ञों को समनों की तामील

1. यदि एक संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रारम्भिक जांच या न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान किसी ऐसे गवाह या विशेषज्ञ को, जो दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में रह रहा हो, व्यक्तिगत रूप से हाजिर किए जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो समनों की तामील करने का अनुरोध उस संविदाकारी पक्ष के तत्समान प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

2. समन में, समन देकर बुलाए गए व्यक्ति के हाजिर न हो पाने के संबंध में, कोई शास्ति अंतर्विष्ट न हो सकेगी।

3. समन के उत्तर में, अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष के तत्समान प्राधिकारी के समक्ष स्वेच्छा से हाजिर होने वाले किसी गवाह या विशेषज्ञ को, चाहे उसकी नागरिकता कुछ भी हो, उस संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में ऐसे किसी दांडिक या प्रशासनिक अपराध के लिए अभियोजित, निरुद्ध या दंडित नहीं किया जाएगा जो उसने उसके राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व किया हो।

4. लेकिन यदि अनुरोधकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा उस गवाह या विशेषज्ञ को यह सूचित कर दिए जाने के बाद कि अब उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, वह गवाह या विशेषज्ञ 15 दिन के भीतर अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र को नहीं छोड़ता है, तो वह इस उन्मुक्ति से वंचित हो जाएगा। इस अवधि में वह समयावधि शामिल नहीं होगी, जिसके दौरान वह गवाह या विशेषज्ञ, उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र को छोड़ने में असमर्थ रहा है।

5. अनुरोध किए जाने पर अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में आने वाले गवाह और विशेषज्ञ अनुरोधकर्त्ता प्राधिकारी से अपने यात्रा व्यय और उसके राज्यक्षेत्र में ठहरने के खर्च की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। विशेषज्ञ जांच करने के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने के भी हकदार होंगे।

6. अनुरोध-पत्र में उन प्रतिपूर्तियों के बारे में जानकारी होगी, जिसके कि प्रार्थित व्यक्ति हकदार हैं। अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष, पेश किए गए अपने विवरण के अनुसार खर्चों के लिए अग्रिम भुगतान करने की व्यवस्था करेगा।

7. दोनों संविदाकारी पक्ष विधिवत गठित आयोग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा पदनामित व्यक्ति के माध्यम से या यथास्थिति परिप्रश्नों, प्रश्नावलियों या संबंधित संविदाकारी पक्ष के कानूनों के अनुसार जिसे भी साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाए, के आधार पर गवाह का साक्ष्य लेने में एक-दूसरे को हर प्रकार की आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 11
दस्तावेजों की मान्यता

1. एक संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में निर्धारित फार्म में जारी किए गए या प्रमाणित किए गए तथा सक्षम न्यायालय या शासकीय व्यक्ति (पूर्णकालिक अनुवादक, विशेषज्ञ आदि) की कार्यालय मुहर के साथ मोहरबंद किए गए दस्तावेजों को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में और किसी अधिप्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी।

2. एक संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में लोक दस्तावेजों के तौर पर मान्य दस्तावेजों को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में भी लोक दस्तावेजों की साक्ष्यिक शक्ति प्राप्त होगी।

अनुच्छेद- 12
विधिक सहायता का खर्च

1. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता संविदाकारी पक्ष प्रदान की गई विधिक सहायता के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन नहीं करेगा। संविदाकारी पक्ष अपने राज्यक्षेत्र में प्रदान की गई विधिक सहायता से संबंधित सारे खर्च की व्यवस्था स्वयं करेंगे।

2. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता प्राधिकारी अनुरोधकर्त्ता प्राधिकारी को खर्च की धनराशि की सूचना देगा। यदि अनुरोधकर्त्ता प्राधिकारी उस खर्च को खर्च की प्रतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से वसूल कर लेता है, तो वसूल की गई धनराशि वसूल करने वाले संविदाकारी पक्ष के खाते में जाएगी।

अनुच्छेद-13
सिविल प्रास्थिति के प्रमाणपत्रों और अन्य दस्तावेजों का प्रेषण

अनुरोध किए जाने पर संविदाकारी पक्ष, एक-दूसरे को राजनयिक माध्यमों द्वारा पहचान के दस्तावेजों, यदि कोई हों, और दूसरे संविदाकारी पक्ष के नागरिकों के वैयक्तिक अधिकारों और सम्पत्ति के हितों से संबंधित अन्य दस्तावेजों (शिक्षा, व्यवसाय आदि के) को बिना अनुवाद किए और निःशुल्क प्रेषित करने का वचन देंगे।

अनुच्छेद -14
विधिक सहायता से इंकार करना

यदि विधिक सहायता से अनुरोधप्राप्तकर्त्ता संविदाकारी पक्ष की सम्प्रभुता या सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या ऐसी विधिक सहायता उसके कानूनों के विरूद्ध है, तो विधिक सहायता नहीं दी जाएगी।

अनुच्छेद-15
विधिक फीस के भुगतान से छूट

एक संविदाकारी पक्ष के नागरिकों को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में उन्हीं शर्तों और उसी मात्रा तक विधिक फीस के भुगतान से छूट प्राप्त होगी, जैसी कि उस संविदाकारी पक्ष के नागरिकों को प्राप्त है।

अनुच्छेद -16
वैयक्तिक, वैवाहिक और सम्पत्ति विषयक प्रास्थिति के दस्तावेजों को जारी करना

1. विधिक फीस के भुगतान से छूट की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवश्यक वैयक्तिक, वैवाहिक और सम्पत्ति विषयक प्रास्थिति का दस्तावेज उस संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा जिसके राज्यक्षेत्र में वह घोषणाकर्त्ता निवास करता है या रह रहा है।

2. यदि घोषणाकर्त्ता संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्रों में निवास नहीं करता है या नहीं रह रहा है, तो उसके राज्य के राजनयिक मिशन या कौंसलीय कार्यालय द्वारा जारी या प्रमाणित दस्तावेज ही पर्याप्त होगा।

3. विधिक फीस के भुगतान से छूट का आदेश पारित करने वाला न्यायालय दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी से अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता है।

अनुच्छेद-17
न्यायालय की सक्षमता

1. जब तक कि इस संधि द्वारा अन्यथा उपबंध न किया गया हो और संबंधित संविदाकारी पक्ष के कानूनों के अध्यधीन, उस संविदाकारी पक्ष के न्यायालय सिविल और वाणिज्यिक मामलों में निर्णय देने के लिए सक्षम होंगे, जिसके राज्यक्षेत्र में प्रतिवादी निवास करता है। जहां तक विधिक व्यक्ति के विरुद्ध दावों का संबंध है, उस संविदाकारी पक्ष के न्यायालय निर्णय देने के लिए सक्षम होंगे, जिसके राज्यक्षेत्र में उस विधिक व्यक्ति का कोई अधीनस्थ कार्यालय है या वह लाभ के लिए कारबार चलाता है।

2. माध्यस्थम के मामलों को छोड़कर, न्यायालयों की अनन्य सक्षमता को वादकारियों के करार द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

3. यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के न्यायालयों में, जो इस संधि के अनुसार सुनवाई के लिए सक्षम हैं, उन्हीं पक्षों के बीच उन्हीं आधारों पर उन्हीं मामलों में कार्यवाहियां संस्थित की जाती हैं, तो जिस न्यायालय में कार्यवाही बाद में संस्थित की गई हो वह मामले में आगे कार्यवाही नहीं करेगा।

अनुच्छेद-18
विधिक हैसियत और क्षमता

1. किसी प्रकृत व्यक्ति की विधिक हैसियत का निर्धारण उस संविदाकारी पक्ष के कानूनों द्वारा होगा जिसका कि वह नागरिक है।

2. किसी विधिक व्यक्ति की विधिक हैसियत का निर्धारण उस संविदाकारी पक्ष के कानूनों द्वारा होगा जिसके राज्यक्षेत्र में उसे निगमित किया गया है।

अनुच्छेद-19
किसी व्यक्ति को गुमशुदा, मृत घोषित करना और मृत्यु के तथ्य का प्रमाणन

1. किसी व्यक्ति को गुमशुदा या मृत घोषित करने और मृत्यु के तथ्य को प्रमाणित करने के मामले उस संविदाकारी पक्ष के प्राधिकारियों की सक्षमता के अंतर्गत होंगे जिसका कि वह व्यक्ति अंतिम सूचना के अनुसार जीवित रहते समय नागरिक था।

2. एक संविदाकारी पक्ष के प्राधिकारी, अपने राज्यक्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों कैअनुरोध पर, जिनके अधिकार और हित उस संविदाकारी पक्ष के कानूनों पर आधारित हैं, दूसरे संविदाकारी पक्ष के नागरिक को गुमशुदा या मृत घोषित कर सकते हैं और उसकी मृत्यु के तथ्य को प्रमाणित कर सकते हैं।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 1 और 2 में किए गए प्रावधानों के मामलों में संविदाकारी पक्षों के प्राधिकारी अपने-अपने कानूनों का प्रयोग करेंगे।

सम्पत्ति विषयक विधिक संबंध
अनुच्छेद-20
स्वामित्व

1. अचल संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण उस संविदाकारी पक्ष के कानून द्वारा किया जाएगा जिसके राज्यक्षेत्र में वह संपत्ति स्थित है।

2. परिवहन के साधनों, जिनका प्राधिकरणों में पंजीकरण करवाना अपेक्षित होता है, के स्वामित्व का निर्धारण उस संविदाकारी पक्ष के कानून द्वारा किया जाएगा जिसके राज्यक्षेत्र में उन्हें पंजीकृत करने वाला प्राधिकरण स्थित है।

3. संपत्ति के अर्जन, अन्यसंक्रामण या उसके स्वामित्व की समाप्ति या संपत्ति विषयक अन्य अधिकारों का निर्धारण उस संविदाकारी पक्ष के कानून द्वारा किया जाएगा, जिसके राज्यक्षेत्र में वह संपत्ति उस समय स्थित थी, जिस समय ऐसे अधिकारों का कारणभूत कार्य हुआ या परिस्थिति बनी। जब तक कि संव्यवहार के पक्षों के बीच करार द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, संपत्ति के स्वामित्व के अर्जन और समापन या अन्य अधिकारों का, जो कि संपत्ति के संव्यवहार का विषय है, निर्धारण उस स्थान के कानून द्वारा किया जाएगा जिस स्थान पर वह संव्यवहार हुआ है।

अनुच्छेद-21
संव्यवहार का ढंग

1. चल संपत्ति के मामले में, उस संविदाकारी पक्ष का कानून लागू होगा, जहां कि संव्यवहार हुआ है।

2. अचल संपत्ति के मामले में, उस संविदाकारी पक्ष का कानून लागू होगा जहां कि वह संपत्ति स्थित है।

अनुच्छेद-22
नुकसानी

1. उन मामलों को छोड़कर, जिनके लिए संधियों द्वारा प्रावधान किया गया है और जो अन्य विधिसम्मत कार्यों के परिणामतः उत्पन्न हुए हैं, नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के दायित्व का निर्धारण उस संविदाकारी पक्ष के कानून द्वारा किया जाएगा जिसके राज्यक्षेत्र में वह कार्य हुआ या वह परिस्थिति उत्पन्न हुई जो नुकसानी की मांग करने का आधार बनी है।

2. यदि नुकसान करने वाला व्यक्ति और व्यथित व्यक्ति एक ही संविदाकारी पक्ष के नागरिक हैं, तो जिस संविदाकारी पक्ष के न्यायालय में प्राथना-पत्र प्रस्तुत किया जाता है, उसका कानून लागू होगा।

3. प्रस्तुत अनुच्छेद के पैरा 1 और 2 में उल्लिखित मामले उस संविदाकारी पक्ष के न्यायालय की सक्षमता के अध्यधीन होंगे, जिसके राज्य क्षेत्र में नुकसानी की मांग का कारणभूत कार्य हुआ या परिस्थिति बनी। व्यथित व्यक्ति उस संविदाकारी पक्ष के न्यायालय में कार्रवाई चला सकता है, जिसके राज्यक्षेत्र में प्रतिवादी निवास करता है।

अनुच्छेद-23
कौंसलीय अधिकारियों द्वारा नागरिकों का प्रतिनिधित्व

उत्तराधिकार के विवादकों के संबंध में, यदि एक संविदाकारी पक्ष का नागरिक अपनी अनुपस्थिति या अन्य वैध कारणों से समय पर अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करने में असमर्थ है और अपना प्रतिनिधि नामित नहीं कर पाया है, तो उस संविदाकारी पक्ष का राजनयिक मिशन या कौंसलीय कार्यालय, उचित प्राधिकार के साथ, दूसरे संविदाकारी पक्ष के प्राधिकारियों के समक्ष अपने उस नागरिक के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

अनुच्छेद-24
व्यक्तिगत सामान का अन्तरण

यदि एक संविदाकारी पक्ष के नागरिक की दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में, जहां कि उसका स्थायी निवास नहीं था, यात्रा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके व्यक्तिगत सामान को तत्काल उस संविदाकारी पक्ष के राजनयिक मिशन या कौंसलीय कार्यालय को अन्तरित किया जाएगा जहां का वह नागरिक था।

भाग- III
निर्णयों की मान्यता और उनका प्रवर्तन

अनुच्छेद-25
सिविल और वाणिज्यिक मामलों के निर्णयों की मान्यता और उनका प्रवर्तन तथा दाण्डिक मामलों में अधिनिर्णीत नुकसानी

संविदाकारी पक्ष एक-दूसरे के न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा सिविल और वाणिज्यिक मामलों में दिए गए निर्णयों को और दाण्डिक मामलों में अधिनिर्णीत नुकसानी के आदेशों को मान्यता देंगे और उन्हें प्रवृत्त करेंगे।

संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्र में, संरक्षकता और न्यासिता प्राधिकरणों, रजिस्ट्रार के कार्यालयों और सिविल मामलों के अन्य प्राधिकरणों के निर्णय, जिनकी प्रकृति ऐसी है कि उनका प्रवर्तन अपेक्षित नहीं होता है, बिना विशेष कार्यवाही के समान रूप से मान्य होंगे।

अनुच्छेद-26
निर्णयों के प्रवर्तन के लिए प्राधिकार प्रदान करने हेतु आवेदन-पत्रों पर विचार

1. निर्णयों के प्रवर्तन का प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्रों पर विचार करना उस संविदाकारी पक्ष के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में होगा जिसके राज्यक्षेत्र में वह निर्णय प्रवृत्त किया जाना है।

2. प्रवर्तन का प्राधिकार प्रदान किए जाने के लिए आवेदन-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षाएं उस संविदाकारी पक्ष के कानून द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी जिसके राज्यक्षेत्र में वह निर्णय प्रवृत्त किया जाना है।

3. आवेदन-पत्र के साथ उसका उस संविदाकारी पक्ष, जिसे वह आवेदन-पत्र भेजा जाना है, की भाषा में प्रमाणित अनुवाद भी संलग्न किया जाएगा।

अनुच्छेद-27
संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

प्रवर्तन का प्राधिकार प्रदान करने हेतु आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात भी प्रस्तुत किए जाएंगे:-

1) न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि और यदि उस निर्णय के पाठ में यह स्पष्ट न हो कि वह निर्णय/डिक्री प्रवर्तनीय है, तो उसके प्रवर्तनीय होने का उल्लेख करने वाला आधिकारिक दस्तावेज;

2) इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित दस्तावेजों के प्रमाणित अनुवाद।

अनुच्छेद-28
निर्णयों के प्रवर्तन की प्रक्रिया

किसी निर्णय के प्रवर्तन की प्रक्रिया उस संविदाकारी पक्ष के कानून द्वारा विनियमित होगी जिसके राज्यक्षेत्र में उस निर्णय को प्रवृत्त किया जाना है।

अनुच्छेद-29
प्रवर्तन का खर्च

निर्णय के प्रवर्तन से संबंधित विधिक खर्च का विनियमन उस संविदाकारी पक्ष के कानून द्वारा होगा, जिसके राज्यक्षेत्र में उस निर्णय को प्रवृत्त किया जाना है।

अनुच्छेद-30
निर्णय की व्याप्ति

निर्णयों के संबंध में इस संधि के अनुच्छेद 25 से 29 तक के प्रावधान, न्यायालय द्वारा अनुमोदित सौहार्दपूर्ण समझौतों या सहमति डिक्रियों तथा माध्यस्थम पंचाटों पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद-31
वस्तुओं का निर्यात और धन का अंतरण

निणयों के प्रवर्तन के संबंध में इस संधि के उपबंधों से निणयों के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप अर्जित वस्तुओं के निर्यात और धन के अंतरण संबंधी संविदाकारी पक्षों के कानून प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद- 32
भाषा

वर्तमान संधि का अनुपालन करते समय संविदाकारी पक्ष अपनी राष्ट्रभाषा का प्रयोग करेंगे और उसके साथ दूसरे संविदाकारी पक्ष की राष्ट्रभाषा में या अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद संलग्न करेंगे।

भाग - IV
अंतिम उपबंध

अनुच्छेद-33

1. यह संधि अनुसमर्थन के अध्यधीन है और अनुसमर्थन की लिखतों का आदान-प्रदान होने के पश्चात् 30वें दिन से प्रवृत्त होगी।

2. यह संधि तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि दोनों में से कोई भी एक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को नोटिस देकर इस संधि को समाप्त नहीं कर देता। यदि ऐसा नोटिस दे दिया जाता है, तो यह संधि नोटिस प्राप्त होने के छः महीने के पश्चात लागू नहीं रहेगी।

3. आज दिनांक 3 जनवरी, 2001 को नई दिल्ली में मंगोली, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में, तीन प्रतियों में की गई और उक्त तीनों भाषाओं के पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित है।

4. व्याख्या संबंधी मतभेद होने की दशा में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

मंगोलिया के लिए

भारत गणराज्य के लिए